

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 120/2025 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

बबलू अंसारी ----- प्रथम पक्ष

बनाम्

रामकृष्ण वर्मा वगै0 ----- द्वितीय पक्ष

आदेश

26/9/25

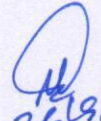
प्रस्तुत वाद भू-विवाद से संबंधित है तथा इसमें दखल कब्जे का तत्व अंतर्निहित है। उभय पक्ष के मध्य वर्तमान में भी तनाव व्याप्त है तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना विद्यमान है अतः वाद को बेहतर विवेचन हेतु धारा 164 भा0ना0सु0सं0 में परिणत किया जाता है।

उभय पक्ष को इस आशय का नोटिस जारी करें तथा वाद सुनवाई हेतु दिनांक ...23.11.25..... को सूचीबद्ध करें।

लेखापित एवं संशोधित


26/9/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया


26/9/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया